न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 147 / 2023

अनवान : –

1. उग्रसेन पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी चक 1 आर.पी.एम. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– असल प्रतिवादी

2. मदनलाल पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर
3. रमेश कुमार पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी चक 1 आर.पी.एम. तहसील नोहर
4. हेमराज पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी चक 1 आर.पी.एम. तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 16/04/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 4 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 167 / 167 के प.न. 305 / 383 मु.न. 20 के किला नं. 5 की 0.2530 हैक्टर, 6 की 0. 2530 हैक्टर, 7 की 0.2530 हैक्टर, 14 की 0.2530 हैक्टर, 15 की 0.2530 हैक्टर, 16 की 0.2530 हैक्टर, 17 की 0.2530 हैक्टर, 24 की 0.2530 हैक्टर, 25 की 0. 2530 हैक्टर, कुल 9 किता की 2.2770 हैक्टर भूमि प.न. 306 / 383 मु.न. 19 के किला नं. 1 / 1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 1 / 2 की 0.2280 हैक्टर, बारानी 2 / 1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 2 / 2 की 0.2280 हैक्टर भमि एंव 3 / 1 की 0.0250 हेक्टर गै. मु. रास्ता, 3 / 2 की 0. 2280 हैक्टर, 4 / 1 की 0.0250 हेक्टर गै.मु. रास्ता, 4 / 2 की 0.2280 हैक्टर, 5 / 1 की 0.0250 हैक्टर गै. मु. रास्ता, 5 / 2 की 0.1900 हैक्टर, 5 / 3 की 0.0380 हेक्टर किला नं. 6 / 1 की 0. 0380 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 6 / 2 की 0.2150 हैक्टर, 7 की 0.2530 हैक्टर, 8 की 0.2530 हैक्टर, 9 की 0.2530 हैक्टर, 10 की 0.2530 हैक्टर, 11 की 0.2530 हैक्टर, 12 की 0.2530 हैक्टर, 13 की 0.2530 हैक्टर, 14 की 0.2530 हैक्टर, 15 / 1 की 0.0380 हैक्टर गै. मु. रास्ता, 15 / 2 की 0. 2150 हैक्टर, 16 / 1 की 0.0380 हैक्टर गै.मु, रास्ता, 16 / 2 की 0.2150 हैक्टर, 17 की 0.253 हैक्टर 18 की 0.2530 हैक्टर 19 की 0.2530 हैक्टर, 20 की 0.2530 हैक्टर, 21 की 0.2530 हैक्टर, 22 की 0.2530 हैक्टर भूमि 23 की 0.2530 हैक्टर, 24 की 0.2530 हैक्टर, 25 / 1 की 0. 0380 हैक्टर गै. मु. रास्ता, 25 / 2 की 0.2150 हैक्टर बारानी कुल 44 किता की 8.2870 हैक्टर बारानी भूमि में 0.3150 हैक्टर गै.मु. रास्ता अर्थात 44 किता की 8.2870 हैक्टर भूमि स्थित है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:01:42 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपरोक्त वाद भूमि में वादी 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है तथा तरतीबी प्रतिवादी सं. 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 रमेश कुमार, 1/6 हिस्सा के व तरतीबी प्रतिवादी सं. 4 हेमराज का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 की पुरानी खातेदारी कृषि भूमि है तथा गै.मु. भूमि को पुनः अपने खाते में मुमकिन कराने का उन्हें पूर्णतया अधिकार है तथा रोही मौजा चक 4 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 167/167 के प.न. 306/383 मु.न. 19 के किला नं. 1 ता 5 की भूमि का कभी भी रास्ते के रूप में उपयोग उपयोग नही रहा है। तथा किला नं. 5,6,15, 16, 25 में पूर्व से ही रास्ता मौजूद है एक ही पत्थर पर दो–दो रास्ता कानूनी तौर पर स्वीकृत नही किये जा सकते है प.न. 306/383 मु.न. 19 के किला नं. 1 ता 5 का रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 के कानूनी अडचन आती है उन्हें कृषि ऋण लेने व भूमि सुधार कार्य करने में व्यवधान होता है इसलिए किला नं. 1 ता 5 को गै.मु. रास्ता के स्थान पर मुमकिन अर्थात खातेदारी दर्ज करवापाने के अधिकारी है रोही मौजा चक 4 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 167/167 के प.न. 306/383 मु.न. 19 के किला नं. 5.6.15, 16, 25 में पूर्व से उत्तर दक्षिण रास्ता सदामत से चालु है जिससे वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 आवागमन करते आ रहे है तथा अन्य रास्ता की कोई आवश्यकता नहीं है फिर भी प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी हाल में गैर कानूनी ढंग से मिला नं. 1,2,3,4, 5 में गै.मु. रास्ता दर्ज कर दिया मौके पर उक्त रास्ता नही है ना ही किला नं. 1 ता 5 में रास्ता की कोई आवाश्कता है तथा किला नं. 1 ता 5 में वाद भूमि हमेशा से काश्त होती रही है तथा एक खेत में प.न. 306/383 मु.न. 19 में दो–दो रास्ता स्वीकृत करना गैर कानूनी है तथा अवैधानिक है जिसे वादी दुरूस्त करवाकर गै.मु. से मुमकिन करवा पाने का अधिकारणी है तथा वाद भूमि रोही मौजा चक 4 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 167/167 के प.न. 306/383 मु.न. 19 के किला नं. 1 ता 5 की अर्थात किला नं. 1/1 की 0.0250 हैक्टर, 2/1 की 0.0250 हैक्टर, 3/1 की 0.0250 हैक्टर, 4 की 0.0250 हैक्टर, 5/1 की 0.0250 हैक्ट भूमि गै.मु. रास्ता के स्थान पर मुमकिन अर्थात खातेदारी दर्ज करवापाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा गै0मु0 रास्ता को मुमकिन कर दुरूस्त करे देवे परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई की उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 दर्ज है तथा उक्ता रास्ता की मौके व रिकार्ड के अनुसार उपयोगिता है।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रोही मौजा चक 4 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:01:42 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

167/167 के प.न. 306/383 मु.न. 19 के किला नं. 1 ता 5 की भूमि का कभी भी रास्ते के रूप में उपयोग उपयोग नही रहा है। तथा किला नं. 5,6,15, 16, 25 में पूर्व से ही रास्ता मौजूद है एक ही पत्थर पर दो–दो रास्ता कानूनी तौर पर स्वीकृत नही किये जा सकते है प.न. 306/383 मु.न. 19 के किला नं. 1 ता 5 का रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 के कानूनी अडचन आती है उन्हें कृषि ऋण लेने व भूमि सुधार कार्य करने में व्यवधान होता है इसलिए किला नं. 1 ता 5 को गै.मु. रास्ता के स्थान पर मुमकिन अर्थात खातेदारी दर्ज करवापाने के अधिकारी है उक्त रास्ता की कोई भी उपयोगिता नही है फिर भी प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी हाल में गैर कानूनी ढंग से मिला नं. 1,2,3,4, 5 में गै.मु. रास्ता दर्ज कर दिया मौके पर उक्त रास्ता नही है ना ही किला नं. 1 ता 5 में रास्ता की कोई आवाश्कता है अतः रोही मौजा चक 4 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 167/167 के प.न. 306/383 मु.न. 19 के किला नं. 1 ता 5 की अर्थात किला नं. 1/1 की 0.0250 हैक्टर, 2/1 की 0.0250 हैक्टर, 3/1 की 0.0250 हैक्टर, 4 की 0.0250 हैक्टर, 5/1 की 0.0250 हैक्ट भूमि गै.मु. रास्ता के स्थान पर मुमकिन अर्थात खातेदारी दर्ज करवापाने के अधिकारी है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण द्वारा रोही मौजा चक 4 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 167/167 के प.न. 306/383 मु.न. 19 के किला नं. 1 ता 5 की अर्थात किला नं. 1/1 की 0.0250 हैक्टर, 2/1 की 0.0250 हैक्टर, 3/1 की 0.0250 हैक्टर, 4 की 0.0250 हैक्टर, 5/1 की 0.0250 हैक्ट भूमि गै.मु. रास्ता के स्थान पर मुमकिन दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है। तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट की अनुसार उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज है एवं उक्त रास्ता की मौके एवं रिकार्ड की अनुसार उपयोगिता है तथा वादी द्वारा गै0मु0 रास्ता यानि की राजकीय भूमि को खातेदारी/मुमकीन दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है एवं गै0मु0 रास्ता /राजकीय भूमि को मुमकिन/खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का कोई प्रावधान नही है व नही राजकीय सार्वजनिक उपयोग की भूमि को सीधे ही बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी नही है। अतः गै0मु0 रास्ता की भूमि को मुमकिन/ खातेदारी दर्ज किया जाना उचित नही है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/04/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:01:42 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 147 / 2023

अनवान : –

1. उग्रसेन पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी चक 1 आर.पी.एम. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– असल प्रतिवादी

2. मदनलाल पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर
3. रमेश कुमार पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी चक 1 आर.पी.एम. तहसील नोहर
4. हेमराज पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी चक 1 आर.पी.एम. तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 147 सन 2023 निर्णय दिनांक 16/04/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/04/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:01:42 IST
Reason: SelfAttested